87

0305

प्रतिलिपि आदेश दि० 27/3/13 [illegible]
[illegible]
[illegible] 143 [illegible]
[illegible] प्रतिलिपि [illegible]

नोट
प्रतिलिपि [illegible]

प्रबन्धक/सचिव
[illegible] सिंह जन [illegible]
[illegible] सिविल [illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर रायबरेली

वाद सं0:– 39   अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम कठवारा प0 व तह0 सदर
जिला रायबरेली

श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर............बनाम.........ग्राम सभा

निर्णय

धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व0 महावीर सिंह निवासी भवन सं0 521 पंचवटी सिविल लाइन प0 व तह0 जिला रायबरेली द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम कठवारा प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के खाता सं0 560 की गा0सं0 1497मि./0.278हे0 व खाता सं0 366 की गा0सं0 1497मि./0.152हे0 खाता सं0 421 की गा0सं0 1500मि./0.305हे0 व खाता सं0 440 की गा0सं0 1497मि./0.406हे0 भूमि महावीर सिंह स्मारक विद्यालय हरचन्दपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व0 महावीर सिंह निवासी भवन सं0 521 पंचवटी सिविल लाइन प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व काबिज दखील है। भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में शामिल है। जिसमें शैक्षणिक कार्य हो रहा है। प्रश्नगत् गाटो का उपयोग गैर कृषिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। अन्त में उपरोक्त गाटो को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की याचना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार सदर को जांच हेतु भेजा गया। तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 23.02.2013 में अवगत कराया है कि ग्राम कठवारा प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली की खतौनी सन् 1418–1423 फ0 की खाता सं0 560 की गा0सं0 1497मि./0.278हे0, व खाता सं0 360 की गा0सं0 1497मि./0.152हे0 व खाता सं0 421 की गा0सं0 1500मि./0.350हे0 व खाता सं0 440 की गा0सं0 1497मि./0.406हे0 भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व0 महावीर निवासी भवन सं0 521 पंचवटी सिविल लाइन प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व काबिज दखील है। प्रश्नगत् गाटो पर महाविद्यालय संचालित है। भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में है। जिसमें शैक्षणिक कार्य हो रहा है। भूमि अकृषिक/व्यवसायिक के रूप में लाई जा रही है। जिस पर कृषि कार्य नही होता है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया, पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 23.02.2013 एवं

उद्धरण खतौनी सन् 1418–1423 के अनुसार ग्राम कठवारा प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के खाता सं0 560 की गा0सं0 1497मि./0.278हे0, व खाता सं0 360 की गा0सं0 1497मि./0.152हे0 व खाता सं0 421 की गा0सं0 1500मि./0.350हे0 व खाता सं0 440 की गा0सं0 1497मि./0.406हे0 भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व0 महावीर निवासी भवन सं0 521 पंचवटी सिविल लाइन प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व काबिज दखील है। प्रश्नगत् गाटो पर महाविद्यालय संचालित है। भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में है। जिसमें शैक्षणिक कार्य हो रहा है। भूमि अकृषिक/व्यवसायिक के रूप में लाई जा रही है। जिस पर कृषि कार्य नही होता है। लेखपाल के बयान से दावे की पुष्टि होती है। तहसीलदार सदर ने उक्त भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। खातेदार के प्रार्थना पत्र में धारा 143 ज0वि0अधि0 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गैर कृषिक प्रयोजन हेतु घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम कठवारा व तह0 सदर जिला रायबरेली की खतौनी सन् 1418 से 1423फ0 की खाता सं0 560 की गा0सं0 1497मि./0.278हे0, खाता सं0 366 की गा0सं0 1497मि./0.152हे0, खाता सं0 421 की गा0सं0 1500मि./0.305हे0, खाता सं0 440 की गा0सं0 1497मि./0.406हे0 को तहसीलदार सदर रायबरेली की आख्या दिनांक 23.02.2013 के कम में गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। भविष्य में यदि भूमि का प्रयोग कृषि के रूप में होता पाया जाये तो ज0वि0अधि0 की धारा 144 के अर्न्तगत पुनः कृषि योग्य घोषित कराने की कार्यवाही की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। एक प्रति उपनिबन्धक सदर रायबरेली को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित हो।

दिनांकः–27फरवरी 2013

(एस0सी0तिवारी)
उपजिलाधिकारी
सदर–रायबरेली
27.2.13

सत्य प्रतिलिपि